

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 892] No. 892] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2017/कार्तिक 8, 1939

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2017/KARTIKA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

सं. 54/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1352(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1144(अ), तारीख 11 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2017-केंद्रीय कर, तारीख 11 सितंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी में.—

- (क) क्रम सं. 2 के स्तंभ (4) में, "31 अक्तूबर, 2017 तक " अंकों और शब्दों के स्थान पर, "30 नवम्बर, 2017 तक " अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) क्रम सं. 3 के स्तंभ (4) में, "10 नवम्बर, 2017 तक " अंकों और शब्दों के स्थान पर, "11 दिसम्बर, 2017 तक " अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

6460 GI/2017 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2017

No. 54/2017-Central Tax

G.S.R. 1352(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner hereby makes the following amendments in the notification number 30/2017-Central Tax, dated the 11th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 1144(E), dated the 11th September, 2017, namely:—

in the table,—

- a) against Sl. No. 2, in column (4), for the words, figures and letters "Upto 31st October, 2017", the words, figures and letters "Upto 30th November, 2017" shall be substituted;
- b) against Sl. No. 3, in column (4), for the words, figures and letters "Upto 10th November, 2017", the words, figures and letters "Upto 11th December, 2017" shall be substituted.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.